अदालत जोधपुर मुकाम

हरिसिंह दत्तकपुत्र उम्मेदसिंह वगैरा बनाम हरिसिंह पै० मोहनलाल उ

मुकदमा राजस्व अपील नं. 20/2016 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/3/18	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक श्री अक्षय कुमार दवे। उपस्थित रेस्पोडेन्टस अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील नामान्तरकरण सं. 491 ग्राम मण्डोर तहसील जोधपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जो नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 23/8/1982 को पारित किया गया था। अपील में मुख्य रूप से विवाद पुसाराम की मृत्यु दिनांक 20/8/1983 अथवा 21/07/1982 को लेकर है। मृतक पुसाराम की वास्तविक मृत्यु दिनांक की घोषणा हेतु अपीलार्थी द्वारा सक्षम दीवानी न्यायालय में हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के पश्चात वाद प्रस्तुत किया जा चुका है ऐसी स्थिती में उक्त वाद के निस्तारण तक इस अपील को जारी रखने का कोई औचित्य नही होने के कारण अपीलार्थी हस्तगत अपील को दीवानी वाद के निस्तारण पश्चात उसके निर्णय के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो निस्तारित करवाना चाहते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती है।

न्यायालय अति० कलक्टर, जोधपुर